



Neutral Citation No. - 2026:AHC:26591

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - **9559/2024**

(मुख्य) आलोक कुमार दुबे

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अभिषेक भूषण, अर्पण श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

एवं

रिट - ए संख्या - **16173/2025** (सम्बद्ध)

आलोक दुबे

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: नमित श्रीवास्तव, राकेश दुबे

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. मुख्य और सम्बद्ध रिट याचिकाओं में रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश दुबे और साथ ही श्री नमित श्रीवास्तव तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल को सुना।
2. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल ने यह कथन किया है कि वह निर्देशों से पूर्णतः सुसज्जित हैं और मामले में बहस करने की स्थिति में हैं। वह कोई प्रति-शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और उन्होंने आगे यह निवेदन किया कि रिट याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका को नए स्तर पर निर्णीत किया जा रहा है।
4. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि रिट याचिकाकर्ता को लेखपाल के पद पर नियुक्त किया गया था और उन्हें पहली तैनाती तहसील सदर, कानपुर नगर में 05.03.1993 को मिली थी और मई 1995 में याचिकाकर्ता का स्थानांतरण जनपद इटावा की तहसील सदर में कर दिया गया था

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



और दिसंबर 1995 में याचिकाकर्ता का स्थानांतरण कानपुर नगर में कर दिया गया तथा उसके बाद जून 2011 में याचिकाकर्ता का स्थानांतरण घाटमपुर तहसील, कानपुर नगर में कर दिया गया। रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्हें राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई थी। जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा 28.06.2024 को एक स्थानांतरण आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा रिट याचिकाकर्ता को कानपुर नगर से फतेहपुर स्थानांतरित कर दिया गया। इसके कारण मुख्य रिट याचिका दाखिल की गई, जिसमें 08.07.2024 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थे:-

"याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक भूषण द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस मामले में स्थानांतरण की शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है। विद्वान स्थायी अधिवक्ता तीन दिनों के भीतर निर्देश प्राप्त करेंगे, जिसमें यह इंगित किया जाएगा कि किन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को प्रशासनिक आधार पर एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानांतरित किया गया है, जबकि प्रशासनिक आधारों की आवश्यकता सामान्यतः एक तहसील से दूसरी तहसील में जिला-अन्तर्गत स्थानांतरण द्वारा संतुष्ट हो जाती है। 11.07.2024 तक के लिए स्थगित। नए मामले के रूप में लिया जाए। तब तक याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।"

5. तत्पश्चात, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गई, जिसके परिणामस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा 25.09.2025 को एक दंड आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा रिट याचिकाकर्ता को राजस्व निरीक्षक के पद से प्रत्यावर्तित कर लेखपाल बना दिया गया और 25.09.2025 को परिनिंदा प्रविष्टि अधिरोपित की गई। इसके बाद 30.09.2025 को जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) ने रिट याचिकाकर्ता को तहसील सदर कानपुर नगर से तहसील बिल्हौर, कानपुर नगर स्थानांतरित कर दिया। यही सम्बद्ध रिट याचिका में चुनौती का विषय था। सम्बद्ध रिट याचिका को मुख्य रिट याचिका के साथ नत्थी कर दिया गया।
6. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि आक्षेपित स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2025 को एक क्षण के लिए भी कायम नहीं रखा जा सकता, विशेष रूप से तब जब पिछला स्थानांतरण आदेश दिनांक 28.06.2024, जिसके द्वारा रिट याचिकाकर्ता को कानपुर नगर से फतेहपुर स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया था, स्थगित कर दिया गया था, तो न्यायालय की अनुमति के बिना रिट याचिकाकर्ता का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता था। आगे यह तर्क है कि आक्षेपित स्थानांतरण आदेश दंडात्मक प्रकृति का है, विशेष रूप से तब जब रिट याचिकाकर्ता को राजस्व निरीक्षक से लेखपाल के पद पर प्रत्यावर्तित करने के आदेश दिनांक 25.09.2025 के पारित होने के बाद तहसील सदर से तहसील बिल्हौर, कानपुर नगर स्थानांतरित किया गया है।
7. दूसरी ओर, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल ने तर्क दिया कि आगामी वित्तीय/सत्र वर्ष में समय-समय पर स्थानांतरण नीति जारी की जाती है। उनके अनुसार, स्थानांतरण आदेश दिनांक 28.06.2024 की उपयोगिता समाप्त हो गई, जैसे ही नई स्थानांतरण नीति अस्तित्व में आई और इस प्रकार दिनांक 30.09.2025 का आदेश, जिसके द्वारा रिट

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



याचिकाकर्ता को तहसील सदर कानपुर नगर से तहसील बिल्हौर कानपुर नगर स्थानांतरित किया गया है, उसे अवैध नहीं कहा जा सकता।

8. मैंने अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों को सुना है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।
9. तथ्य विवाद में नहीं हैं। यह विवाद का विषय नहीं है कि 28.06.2024 को रिट याचिकाकर्ता का स्थानांतरण कानपुर नगर से फतेहपुर किया गया था, जिसे इस न्यायालय द्वारा मुख्य रिट याचिका में 08.07.2024 को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद, अब रिट याचिकाकर्ता को 30.09.2025 को तहसील सदर, कानपुर नगर से तहसील बिल्हौर, कानपुर नगर स्थानांतरित कर दिया गया है।
10. न्यायालय के विचार में, स्थानांतरण आदेश दिनांक 28.06.2024 को स्थगित करने वाली मुख्य रिट याचिका का केवल लंबित होना, प्रत्यर्थियों को अगले सत्र में स्थानांतरण आदेश पारित करने से वंचित करने का आधार नहीं होगा। स्थानांतरण आदेश स्थानांतरण नीति पर निर्भर करते हैं, जो वर्षवार संबंधित होती है। न्यायालय की राय में, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किसी भी ऐसी क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि को इंगित न करने की स्थिति में कि जिस प्राधिकारी ने रिट याचिकाकर्ता का स्थानांतरण किया वह सक्षम नहीं था, न्यायालय को हस्तक्षेप करने का कोई वैध आधार नहीं मिलता है।
11. इस स्तर पर, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात, रिट याचिकाकर्ता प्राधिकारी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और यदि प्रत्यावेदन दिया जाता है, तो उस संबंध में उस पर विचार किया जाए।
12. ऐसे निवेदन पर विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।
13. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"